कन्नन (मृत) जरिये विधिक प्रतिनिधि व अन्य

बनाम

वी. एस. पांडुरंगम (मृत) जरिये विधिक प्रतिनिधि व अन्य

27 नवंबर, 2007

[ए. के. माथुर और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

धारा 100 (4) व आदेश 14 नियम 1 - उच्च न्यायालय ने द्वितीय अपील पर विधि के सारवान प्रश्न को तैयार किए बिना फैसला सुनाया- इसका प्रभाव- स्वत्व की घोषणा और कब्जे के लिए दावा- प्रत्यर्थी का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वत्व प्राप्त कर लेने का अभिवाक्- द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय ने यद्यपि विधि के सारवान प्रश्न तैयार नहीं किये, फिर भी दावे को इस आधार पर डिक्री कर दिया कि प्रतिकूल कब्जे के घटको को प्रतिवादी सिद्ध नहीं कर पाया है- अभिनिर्धारितः यदि अपीलार्थी के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष विधि के सारवान प्रश्न तैयार न करने की वजह से प्रतिकूल प्रभाव पडता है तो उच्च न्यायालय का निर्णय धारा 100 (4) की पालना न करने के आधार पर ही अपास्त किये जाने योग्य है- आदेश 14 नियम 1 पर निर्णय अनुपात तब भी लागू होगा जब उच्च न्यायालय के किसी निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी जाये कि उच्च न्यायालय ने धारा 100 (4) की अपेक्षाओं के अनुरूप विधि का

सारवान प्रश्न नहीं किया- तथ्यों पर पक्षकार अच्छी तरह से जानते थे कि प्रतिकूल कब्जे के प्रश्न को प्रतिवादी द्वारा अभिवचित किया गया है और उस विवाद्यक पर साक्ष्य पेश हुई है- अतः उच्च न्यायालय द्वारा विधि का सारवान प्रश्न तैयार न करने से उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडा है- उच्च न्यायालय ने यह सही रूप से अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी प्रतिकूल कब्जे के घटकों को स्थापित करने में असफल रहा है (nec vi, nec clam, nec precario) -किरायेदार का आवासीय परिसर खाली करना होगा और उसका खाली कब्जा निर्णय में बताये अनुसार सुपुर्द करना होगा।

नेदुनुरी कामेश्वरम्मा बनाम सम्पती सुब्बा राव, एआईआर (1963) एससी 884 ; सैयदा अख्तर बनाम अब्दुल अहद, एआईआर (2003) एससी 2985; काली प्रसाद अग्रवाला व अन्य बनाम मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड व अन्य , [1989] अनुपूरण1 एस. सी. सी. 628 और शेख मोहम्मद उमरसाहब बनाम कादलस्कर हाशम करीमसाब व अन्य , ए. आई. आर. (1970) एस. सी. 61 पर विश्वास किया गया।

पी. लक्ष्मी रेड्डी बनाम एल. लक्ष्मी रेड्डी, एआईआर (1957) एससी 314; सूरजमल व अन्य बनाम राम सिंह और अन्य. ए. आई. आर. 1986 एस. सी. 1889 और अचल रेड्डी बनाम रामकृष्णा रेड्डियार व अन्य, ए. आई. आर. (1990) एस. सी. 553, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं 2001 की 5472-5475।

मद्रास उच्च न्यायालय के 1996 के एस. ए. सं. 1601-1604 में किये गये निर्णय और आदेश दिनांकित 17.8.2000 से।

एस.महेंद्रन अपीलार्थियों के लिए।

महाबीर सिंह, पी. बी. सुरेश और विपिन नायर (मैसर्स टेम्पल लॉ फर्म की ओर से) प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया।

आदेश

1. ये अपीलें द्वितीय अपील संख्या 1601-04/1986 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 17.8.2000 के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध निर्देशित हैं।

2. पक्षों के विद्वान वकील को सुना और रिकार्ड का अवलोकन किया।

3. इन अपीलों के प्रत्यर्थी, पांडुरंगन ने 1982 के मूल वाद नंबर 807 (कुड्डालोर में 1982 के ओएस नंबर 135) के तहत एक मुकदमा दायर किया था, जिस पर विचारण न्यायालय ने 20.8.1984 को फैसला सुनाया था। उस मुकदमे में वादी ने आरोप लगाया कि वह विचाराधीन संपत्ति का मालिक है, और उसने अपने स्वामित्व की घोषणा करने और प्रतिवादी के खिलाफ कब्जे की डिक्री के लिए प्रार्थना की।

4. विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री के खिलाफ अपीलकर्ता ने एक अपील दायर की जिसे अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायाधीश, कुड्डालोर ने

30.12.1985 को स्वीकार कर लिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया और यह मानते हुए अपील स्वीकार कर ली कि प्रतिवादी ने विवाद में संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे से स्वामित्व हासिल कर लिया था और वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया।

5. उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध वादी (यहाँ प्रत्यर्थी) ने दूसरी अपील दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने दिनांक 17.8.2000 के आक्षेपित निर्णय द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

6. उच्च न्यायालय ने कई निर्णयों पर भरोसा करते हुए माना कि प्रतिकूल कब्जे के कई घटकों को (एनईसी वीआई, एनईसी क्लैम, एनईसी प्रीकैरियो वी. पी. लक्ष्मी रेड्डी बनाम एल. लक्ष्मी रेड्डी एआईआर 1957 एससी 314, सूरजमल और अन्य बनाम रामसिंह और) अन्य एआईआर 1986 एससी 1889, अचल रेड्डी बनाम रामकृष्ण रेड्डीर और अन्य एआईआर 1990 एससी 553, आदि) प्रतिवादी ने तुष्ट नहीं किया हैं और इसलिए वादी का मुकदमा डिक्री के योग्य है, क्योंकि वादी विवादित संपत्ति का मालिक था।

7. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि सीपीसी की धारा 100 (4) के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा विधि का कोई सारवान प्रश्न तैयार नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय रद्द किया जाना चाहिए।

8. यह सच है कि इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा विधि का कोई सारवान प्रश्न तैयार नहीं किया गया है। हालाँकि, हमारी राय में, केवल इसलिए कि उच्च न्यायालय द्वारा विधि का कोई सारवान प्रश्न तैयार नहीं किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि उच्च न्यायालय का निर्णय स्वतः अमान्य हो जाता है या कि इसे आवश्यक रूप से इस आधार पर इस न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाना चाहिए। हमारे समक्ष अपीलकर्ता को भी इस संबंध में उसके प्रति क्या प्रतिकूल प्रभाव पडा यह दिखाना होगा।

9. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने हमें इस न्यायालय के कई निर्णय दिखाए, जहां द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय के निर्णयों को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि उच्च न्यायालय द्वारा धारा 100 (4) सीपीसी के अनुसार विधि का कोई सारवान प्रश्न तैयार नहीं किया गया था। हमारी राय में इन निर्णयों को इस रूप में कानून का कोई पूर्ण निर्वचन निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि जब भी उच्च न्यायालय द्वारा किसी द्वितीय अपील पर विधि का कोई सारवान प्रश्न तैयार किए बिना निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णय को अनिवार्य रूप से रद्द कर दिया जाना चाहिए। हमारी राय में, उच्च न्यायालय के फैसले को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इस कारण हमारे सामने अपीलकर्ता के साथ कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ हो।

10. वर्तमान मामले में दोनों पक्षों को पता था कि इसमें प्रश्न यह था कि क्या इस मामले में प्रतिवादी (अपीलकर्ता) प्रतिकूल कब्जे से अपना स्वामित्व साबित करने में सफल हुआ था। इसलिए इस मामले में विधि का एक सारवान प्रश्न तैयार न करने से उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता पर बिल्कुल भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

11. इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला द्वारा यह तय किया गया है कि आदेश XIV नियम 1 सीपीसी के तहत आवश्यक एक विवाद्यक को तैयार करने में चूक से उस दावे में विचारण दूषित नहीं होगा जहां पक्षकारो ने मामले को पूरी तरह से जानते हुए विचारण में भाग लिया और सबूत पेश किए। अपने संबंधित तर्कों के समर्थन में और दूसरे पक्ष के तर्कों का खंडन करने के लिए नेदुनुरी कामेश्वरम्मा बनाम संपति सुब्बा राव एआईआर 1963 एससी 884 ।

12. सईदा अख्तर बनाम अब्दुल अहद एआईआर 2003 एससी 2985 में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भले ही कोई विशिष्ट विवाद्यक नहीं बनाया गया हो, लेकिन यदि पक्षकारों को उस मुद्दे के बारे में पता हो और उन्होंने इस पर सबूत पेश किए हो, तो अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। काली प्रसाद अग्रवाल और अन्य बनाम मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य (1989) सप्लिमेंट 1 एससीसी 628 (पैरा 19 के अनुसार) और शेख महामद उमरसाहेब बनाम कदलस्कर हाशम करीमसाब

और अन्य एआईआर 1970 एससी 61 (पैरा 9 के अनुसार) साथ ही कई अन्य निर्णयों में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया था।

13. वर्तमान मामले में, पक्षकारों को अच्छी तरह से पता था कि प्रतिवादी अपीलकर्ता द्वारा प्रतिकूल कब्जे का प्रश्न अभिवचित किया गया है और इस मुद्दे पर साक्ष्य पेश किए गए हैं। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा विधि का एक सारवान प्रश्न तय न करने से अपीलकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडा है। हमारी राय में, आदेश XIV नियम 1 सीपीसी पर दिये गये निर्णयों का अनुपात तब भी लागू होगा जब उच्च न्यायालय के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि उच्च न्यायालय द्वारा धारा 100 (4) सीपीसी के अनुसार विधि का एक सारवान प्रश्न तैयार नहीं किया गया था। हमारी राय में, इस न्यायालय को यह घोषित करने के लिए मामले पर अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए कि द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय का प्रत्येक निर्णय केवल इसलिए अवैध और शून्य होगा कि उच्च न्यायालय द्वारा विधि का कोई सारवान प्रश्न तैयार नहीं किया गया था। इस तरह के अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण का नतीजा यह होगा कि मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए उच्च न्यायालय में भेज दिया जाएगा और उसके बाद मामला फिर से अपील में हमारे सामने आ सकता है। न्यायपालिका पहले से ही भारी बकाया मुकदमों के बोझ से दबी हुई है और हमें ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए जिससे बकाया और बढ़ जाए।

14. हमारी राय में, उच्च न्यायालय के फैसले को केवल धारा 100(4) के गैर-अनुपालन के आधार पर तभी रद्द किया जाना चाहिए, जब विधि का वह सारवान प्रश्न तैयार न करने से हमारे सामने के अपीलकर्ता पर कुछ प्रतिकूल पडा हो।

15. वर्तमान मामले में, हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि प्रतिवादी अपीलकर्ता प्रतिकूल कब्जे के घटकों को स्थापित करने में असफल रहे है (nec vi, nec clam, nec precario). इसलिए इन अपीलों में कोई बल नहीं है, इसलिए इस अनुसार इन्हें बिना हर्जे के खारिज किया जाता है।

16. आम तौर पर, हम किरायेदार को आवासीय परिसर खाली करने के लिए छह महीने का समय देते हैं, लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि अपीलकर्ताओं ने लंबे समय से वादग्रस्त परिसर पर कब्जा कर रखा है, इसलिए, एक विशेष मामले के रूप में हम अपीलकर्ताओं को वादग्रस्त परिसर को खाली करने और भौतिक कब्जा सौंपने के लिए 31.12.2008 तक का समय देते हैं, बशर्ते कि अपीलकर्ता आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय के समक्ष इस बाबत सामान्य वचनबद्धता पेश करे।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी तिरूपति कुमार गुप्ता (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।